फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

मनोज कुमार दास ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम बिगनू दास वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......159/2022...... सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक मनोज कुमार दास पिता स्व0 सोबरन दास, साकिन–पिपराटांड, थाना–सरिया, जिला– गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा–बडकी सरिया, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह अंतर्गत खाता नं0–200, प्लॉट सं0–1921, रकवा–01 एकड़ 60 डी0, चौहद्दीः उ0–रास्ता, द0–खाश रैयत मालिक, पू0–टोकन कोयरी, प0–रास्ता में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया से मांगे। अभिलेख दिनांक......................को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/12/22	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ सरिया के ज्ञापांक सं0 2303/22 दिनांक 24.12.22 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 12/01/23 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 12/01/23 को उपस्थापित करें। लेखापित. एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12/1/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 2/2/23 को रखें।	
2/2/23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय ~~पक्ष वकालतनामा हाजिर~~ अनु०। P.O. 16/2/23	
16/2/23	प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल। अभिलेख दिनांक 25/2/23 को रखें।	
25.2.23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष वकालतनामा हाजिर। प्रथम पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल। प्रस्तावित वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है जो उन्हें गैर निबन्धित विक्रय पत्र के माध्यम से उनके पूर्वजों को हासिल	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात पूर्ववर्ती जमींदार द्वारा उक्त भूमि का रिटर्न प्रथम पक्ष के पूर्वजों के नाम से दाखिल किया है। तदनुसार अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत होता आ रहा है। द्वितीय पक्ष जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में और निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 5/7/38 की छाया प्रति, रिटर्न की छाया प्रति, पंजी-II की छाया प्रति, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष उपस्थित होकर लिखित कारण पृच्छा दाखिल किये हैं। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि और निबंधित हुकमनामा के माध्यम से भूतपूर्व जमींदार से हासिल है। जिसकी जमाबंदी पेज नं- 01 भाग-08 में केशो चमार के नाम से	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दर्ज है। साथ ही उक्त खाते में कुछ जमीन विक्रय पत्र के माध्यम से हासिल/ हुक्मनामा एवं खरीदगी जमीन पर सम्मिलात द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा है तथा खेती-बारी करते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सादा हुक्मनामा की छाया प्रति, विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उक्त भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार पंजी-II में ~~गोहु~~ गोहु चमार के नाम से जमाबंदी कायम है। पूर्व के सालों से प्रथम पक्ष के पूर्वज का प्रश्नगत भूमि पर दखल-कब्जा चला आ रहा है किन्तु वर्तमान में द्वितीय पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। उभय पक्षों के मारफत पृच्छा एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम	

...शं की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
5 1	2	3
	प्रथम पक्ष, जमींदारी उन्मूलन के पूर्व सादा केवाला के माध्यम से भूमि हासिल है तथा जमींदार उन्मूलन के पश्चात दाखिल रिटर्न उक्त केवाला को सम्पुष्ट करते हैं। साथ ही अंचल अधिकारी उनके दखल-कब्जा को सम्पुष्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष सादा हुकमनामा के आधार पर दावा कर रहे हैं, परन्तु उनके समर्थन में रिटर्न की प्रति दाखिल नहीं करते हैं। उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रखा तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाता है। यह आदेश द.प्र.स. की धारा 144(4) के अन्तर्गत परिचालित होगा। बाद की कार्यवाई की जाती है। ह० [illegible] SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.03.09 15:29:09 +05:30
Location: 192.168.1.7

Scanned with CamScanner